1-6

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT - ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Almora** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on dated 15.04.15 at time 3:40 PM at .... in which application claiming rights in Jourashi range / area measuring **3.844 Hec.** for the **Construction of Deghat Lalnagari Motor Road** (13.65 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Salt** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;........Almora

Dated:........15/4/15

15.04.15

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा ...
प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है।)

FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector - Almora

No---	Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's lett... 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidenc... having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and O... Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the fores... proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wh... MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.844 hectares** of fore... proposed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Eng... PMGSY Division, P.W.D. Salt (Almora) (name of user agency) for **Construction of Deghat-Lalnagari M... Road** (purpose for diversion of forest land) in **Almora** district falls within jurisdiction of **Lalnagari** villa... **Syaldey** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under t... has been carried out for the entire **3.844** hectares of forest area proposed for diversion. A... records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(... Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as an... ....to...annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as re... under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have give... consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Group... Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
Signature

(Full name and official seal of the District Coll...

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी स्याल्दे

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत 3.844 है0 वन भूमि का, निर्माण खंण्ड लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील स्याल्दे को दिनांक 16.01.2015 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री नारायण सिंह नबियाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री नारायण सिंह नबियाल	उपजिलाधिकारी स्याल्दे।
2. श्री बी० के० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत।
3. श्री दलीप सिंह बिष्ट	सहायक समाज कल्याण अधिकारी स्याल्दे।
4. श्री चन्दनराम	बी0सी0सी0 क्षेत्र लालनगरी सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपद

अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत **देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग** परियोजना [illegible] **3.844 है0** वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया है। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्रागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे.........परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत **देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 3.844 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
स्याल्दे

प्रतिलपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत लालनगरी को संयोजित करने हेतु प्रस्तावित समरेखन की संयुक्त निरीक्षण टिप्पणी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत लालनगरी को संयोजित करने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखन का दिनांक 10/01/2015 संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में अधोहस्ताक्षरी के साथ निम्न अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

1. श्री नारायण सिंह नबियाल उपजिलाधिकारी स्याल्दे।

2. श्री [signature] तहसीलदार स्याल्दे।

3. श्री [signature] राजस्व निरीक्षक।

4. श्री आर0पी0 पाण्डेय सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट।

5. श्री नवीन चन्द्र टम्टा अपर सहायंक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट।

6. श्रीमती नन्दीदेवी ग्राम प्रधान

उक्त उपस्थित अधिकारियों/विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों एवं ग्रामीणों के साथ ग्राम लालनगरी को संयोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित **देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग** का संयुक्त निरीक्षण किया गया। विभाग द्वारा इस स्थल के अतिरिक्त अन्य समरेखन तकनीकी एवं व्यवहारिक रुप से अनुपयुक्त होना कहा गया। निरीक्षण स्थल पर लगभग 13 **काश्तकारों** की कुल लगभग 0.876 है0 भूमि श्रेणी 1 (क) संक्रमणी अधिकार की आ रही है। काश्तकारों से जानकारी लेने पर .. काश्तकारों व उनके परिवार द्वारा अपनी उक्त भूमि सड़क निर्माण हेतु विभाग को देने की सहमति प्रदान की है। इस समरेखन के अतिरिक्त पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत **लालनगरी** गांव को लाभ मिलेगा। संयुक्त टीम द्वारा यह समरेखन उपयुक्त पाया गया।

उप जिला मजिस्ट्रेट
उप जिलाधिकारी स्याल्दे
स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

कार्यालय उप मजिस्ट्रेट स्याल्दे

पत्र संख्या / दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट को सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिला मजिस्ट्रेट
स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– तहसील स्याल्दे

जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.844 है0 भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में लालनगरी में दिनांक 08-01-2011 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधान के तहत आंवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि का कार्य नही है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी/गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्माण किया गया है/प्रस्ताव पारित किया गया है कि ग्राम लालनगरी के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लो0नि0वि0 सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने का कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच
वन पंचायत बौहरागाँव
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

सरपंच
लठ्ठ वन पंचायत लालनगरी
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

प्रधान

सरपंच
लठ्ठ वन पंचायत लालनगरी
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत ... ग्राम प्रधान ... देघाट वि.ख. ...

H:\CERTIFICATE\Deghat-lalnagari.doc